

मूल घाव में डिफ्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा

(पीठसीन अधिकारी प्रशासन गांव के संग अभियान/कैम्प कोर्ट)

पीठसीन अधिकारी :- श्रीमती शकुंतला चौधरी आर०ए०एस०

उनवान

सन्तरी पत्नी स्व० जगदलाल बनाम मुसमान पुत्र शर्जा जाति भैयपाल
जाति भैयपाल जाति निवासी राजपुरा जाति

दावा बाबत :- 88-188 रि.सं.सं.

मुकदमा नम्बर :- 101/2020

निर्णय दिनांक :- 13-12-2021

वादी की ओर से वकील महेन्द्र भागीर की व प्रतिवादी सं० की ओर से वकील की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 13-12-2021 को

मुझ शकुंतला चौधरी उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर आदेश दिया जाता है कि

मुसमान राजीनामा रौंही भोजा चउ राजपुरा वारानी के खता सं० 24/20 के मु० न० 5, 6, ग्री कुल 5.5030 हे० में प्रतिवादी सं० 1 मुसमान के नाम 1/8 हिस्सा व खता सं० 41/40 के मु० न० 37, 41, 43, 47, 48, ग्री कुल 8.6000 हे० में प्रतिवादी सं० 1 के नाम 420 हिस्सा खता सं० 42/40 के मु० न० 30, 31, 36, 37, ग्री कुल 6.7040 हे० में प्रतिवादी सं० 1 के नाम 3.605 हे० सभी प्रकार चउ 9 B.H. के खता सं० 44/45 के मु० न० 53, 63, ग्री कुल 2.2770 हे० में प्रतिवादी सं० 1 के नाम 1/8 हिस्सा राजस्व रिजर्ड में रन है में प्रतिवादी सं० 1 मुसमान ग्री वजाप वादीगज सं० 1 का 5 मसुमर रूप से 1/5 हिस्सा प्रतिवादी सं० 1 मुसमान 1/5 हिस्सा प्रतिवादी सं० 2 मुभाष 1/5 हिस्सा प्रतिवादी सं० 3 इबीताराम 1/5 हिस्सा प्रतिवादी सं० 4 वही प्रसार 1/5 हिस्सा के खतारदार इशतार धीरि दिवे जाते हैं बुकि प्रति सं० 6 ने अपना 1/5 हिस्सा वारीगज व प्रति सं० 1 रूप के पक्ष में वजाप के रूप के सिपा है शामिल निपमानुसार पंजीपन शुल्क प्रदा करने व इति भूमि बैंक रहन है तो रहन मुसम होने पर खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे। उपरोक्तानुसार रिजर्ड इशतार करें। (राजीनामा के रौंही का भाग पढा जावे)

यह पर्चा डिफ्री आज दिनांक 13-12-2021 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय में मुद्रा से जारी की गई।

(शकुंतला चौधरी)

R.A.S.
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादरा जिला हनुमानगढ़